

2022/75

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
19/22	212 RTA	कुंडी	रूडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कन्हैयालाल	बनाम	सचिव ग्राम पंचायत मूंडक्या	
वकील :- N.L.C. Adv.	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27 ³ / ₂₂	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम कुंडी तह. छबड़ा की आराजी खसरा नं 272/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 287 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 288/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 315 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 317 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा कुल कित्ता 5 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी खसरा नं. 288/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि के पास दक्षिण दिशा की पश्चिमी ओर भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 288/2 रकबा 3.07 बीघा भूमि के दक्षिण दिशा की पश्चिमी ओर 50X50 वर्ग फीट भूमि पर टंकी व बाउंड्रीवाल निर्माण न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव कर पत्रावली दिनांक 13.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>M</i> उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज०)</p>	
13 ⁴ / ₂₂	<p>उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 01.06.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">574 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	



कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

3.7.24

पञ्जाबली पेशा डूरी। वकील पार्थी एवं एचपं पार्थी अनुपस्थित
 न्यायालय के रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगावाई
 गई। न्यायालय विद्वेषित होने तक इंटरव्यू किया गया।
 पार्थी एवं एचपं एवं पार्थी कठिनता कोई उपस्थित नहीं।
 पञ्जाबली कदम धजरी कदम डूरी खारिज की जाती है।
 पञ्जाबली फैसल्य सुनार होकर बाद नामील तलमील के
 दाखिल इतर हो।